

Receipt for search, inspection and copy

Rupesh Kumar
Misc token no. Serial no. *6212*
Year Date
Received from *26429*
Following fees:
F (i) - 0 F (iii) - 0 G - 0
F (ii) - 0 F (iv) - 0 G(a) - 0
Total *0*
2607
Registering Officer

For PRASHRAY BUILDERS

Prashray
Proprietor

प्रमाण-पत्र संख्या

19

6212

26479

व्यक्ति का नाम Rupesh Kumar

यह प्रमाण-पत्र प्रदान किया है कि निम्नलिखित संपत्ति के संबंध में निर्दिष्ट संख्याओं और अवधारों पर सविश्वसनीय प्रमाण-पत्र दिया जाये। (आवेदन में दिये गये तथ्यों के अनुसार विवरण दे।)

राजस्थान के राज्य प्रशासनिक कानून हैं कि नए संपत्ति को प्रमाणित करने वाले संख्याओं और अवधारों के बारे में बही में और इससे सम्बंधित अनुसूचियों में सा. 07.07.2008 To All day 19

तक प्रस्तावों को नया और ऐसी संख्याओं के बाद निम्न संख्याओं और अवधारों पर प्राप्त As per index II

पता है अव: संपत्ति अवधार सं. 26479

क्र. सं.	(क) संपत्ति का विवरण	नियामक की संख्या	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्र. निदेश		
				नियामक	दावेदार	जिल्दा	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Muzi		309119					
	Plot no		543					
	Talwar-		5292					
	Plot no		158					
	Talwar-		23					
	North-		Survey Plot no		535			
	South-		Society Plot					
	East-		Road					
	West-		Society Plot no - 6					
	Plot		Danar					
			11.90 Acre					

For PRASHRAY BUILDERS

Rupesh Kumar
Proprietor

के अंतर्गत विधान दर्ज करें।
 प्रमाण-पत्र को दिनांक प्राप्त कर और भुगतान की अवधि पूर्ण करें। बदली गये जमीन पत्र में उल्लेख हो।
 प्रमाण-पत्र में बंधन और धार्मिक लाक्षण दर्ज करें।
 यह प्रमाण-पत्र करता है कि उपरोक्त संस्थापकों और अर्जियों को जोड़ कर संपत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अर्जियों
 पर पत्र जारी करता है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण-पत्र तैयार किया:

(हस्ताक्षर): Shailendra
 (पदनाम): U.O.C
 तलासी नंबर/संस्थान और प्रमाण की यांच पिन् व्यक्ति नं को:
 (हस्ताक्षर): S
 (पदनाम):
 कार्यालय: Sub Registrar, Darrapur
 तारीख: 26/4/19



26/4/19
 मुहर एवं निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी:—इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवधार दिखाये गये हैं वे आवेदन द्वारा प्रस्तुति संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निर्दिष्ट दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वेसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ड्राइव/कजानर) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2. निबंधन अधिनियम की धारा-56 के अधीन जो व्यक्ति (बाहरी) और अनुक्रमणियों (इन्डेंस) को प्रबन्धियों देखना चाहते हैं अथवा इनको प्रतिलिपि देना चाहते हैं किन्हीं निर्दिष्ट स्थानों के अवरानों को प्रमाण-पत्रों को चरते हो उन्हें तलासी स्वयं करना होगा। यिस्त कोम का भुगतान करने पर वहियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके पास भावने राखी जावेगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की है, इसलिए कार्यालय अधीन तलासी प्रमाण को किसी भूल के लिये किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की है, और चूँकि इसके बाद हुई गये संव्यवहारों और अवधारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा हुई गये ऐसे संव्यवहारों और अवधारों को छूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, जिला निबंधक, Sub Registrar, Darrapur

जाप संख्या 1531 दिनांक 25/79

आवेदक श्री Rupesh Kumar

का अवधार प्रमाण-पत्र द्वारा

Ranjan Meenja IDBI Bank Patna
 का उनके पत्र संख्या दिनांक के प्रसंग में अप्रकारित की जाती है।

निबंधन पदाधिकारी,